(66) (57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3802–एक/2012, विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला– मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 07/2011–12/निग0

.....

1– करन सिंह
2– वेद सिंह
3– छिद्दी सिंह पुत्रगण फूलसिंह
4– राधेश्याम सिंह
5– बलवीर सिंह पुत्रगण भूरेसिंह
6– मु0 बेटी बेवा फूलसिंह
निवासी फूलसिंह का पुरा मौजा रायपुरा
तहसील पोरसा, जिला–मुरैना, म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– रनवीर सिंह पुत्र रोशन सिंह
2– रामवरन सिंह पुत्र कुम्हेर सिंह
3– रसाल सिंह पुत्र कुम्हेर सिंह
4– देशराज सिंह पुत्र कुम्हेर सिंह
निवासीगण्ण फूलसिंह का पुरा मौजा रायपुरा
तहसील पोरसा, जिला–मुरैना, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0एस0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/4/14 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला–मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर तहसील पोरसा के आराजी भू सर्वे क्रमांक 712 रकबा 0.773 जिसके भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी छोटीबाई बेवा श्रीचंद, निवास फूलसिंह का पुरा थे । मृतक छोटी बाई बेवा श्रीचन्द द्वारा आवेदकगणों के पक्ष में अपनी चल, अचल सम्पत्ति की वसीयत की तथा उसे रजिस्ट्रार ऑफीस में जाकर स्वयं का फोटो लगवाकर रजिस्ट्र करवाया । जिसकी वैधानिकता तय किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगणों को सूचन दिये बगैर कार्यवाही कर नामान्तरण आदेश 06–10–08 को अनावेदकगणों के पक्ष में पारित किय गया, जिसके विरूद्ध अपील आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष प्रस्तुत की गइ जो दिनांक 13–07–11 को स्वीकार की जाकर प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया । प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 13–07–11 के विरूद्ध निगरानी अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, जिला–मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 31–10–12 को स्वीकार की गई। अपर कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–12 से दुःखी होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में मृतक के विधिक वारिसान को ना तो पक्षकार बनाया और ना ही उन्हें सूचना दी तथा बगैर इस्तीहार व उद्घोषणा के व नियम 27 का पालन किये बगैर मृतक के जायदात सर्वे नम्बर 712 रकबा 0.773 पर अनावेदकगणों का नाम इन्द्राज कर अनियमित एवं अवैधानिक आदेश पारित किया है । जो निरस्तीय योग्य है । अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दू पर विचार नहीं किया है कि उभयपक्षों के पास वसीयतें मृतक की है जिसमें आवेदकगण के पास रजिस्टर्ड वसीयंत है तथा अनावेदकगण द्वारा फर्जी वसीयत तैयार करके सर्वे नं0 712 रकबा 0.773 जिसके भूमि स्वामी मृतक छोटी बेवा फूलसिंह है जो फूलसिंह का पुरा मौजा रायपुरा में स्थित है, के सम्बध में विचारण न्यायालय को गुमराह करके आदेश पारित कराया जबकि उक्त सर्वे नम्बर फर्जी वसीयत में भी अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अनियमित होने से तथा निगरानी न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान ना देने से निगरानी न्यायालय का आदेश निरस्तीयोग्य है। नये संशोधन अधिनियम 30–12–2011 के अनुसार प्रकरण में निगरानी श्रवण करने का अधिकार माननीय राजस्व मण्डल को है किन्तु न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत निगरानी में आदेश पारित कर माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर अपने हाथ में लेकर क्षेत्राधिकार बाह्य आदेश पारित किया है । प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगणों को नोटिस, जवाब, दस्तावेज प्रस्तुत करना, साक्ष्य, बहस, आदि का अवसर न देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन अपने आदेश में नहीं किया है

इस कारण आदेश निरस्तीयोग्य है । प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य मृतक की वसीयते है जिनका साक्ष्य में परीक्षण किये बिना नामान्तरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदकगणों से मिलकर पक्षपातपूर्ण आदेश पारित किया है । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के आदेश को स्थिर रखे जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा परित किया गया आदेश विधि विधान व मौजूदा रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा अपने हित में हुये वसीयतनामा के आधार पर विधिवत नामांतरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया एवं साक्ष्य लेने के उपरांत विधिवत अनावेदकगण के हित में छोटीबाई द्वारा किये गये वसीयतनामा को प्रमाणित मानते हुए अनावेदकगण के हित में छोटीबाई के स्थान पर नामांतरण का आदेश पारित किया गया । छोटी बाई की मृत्यु हुये कई वर्ष हो चुके है । आवेदकगण छोटीबाई की मृत्यु उपरांत बहस होते रहे । उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी अनावेदकगण के हित में नामांतरण हो जाने के उपरांत फर्जी वसीयतनामा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अवधि बाह्य अपील आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गयी थी जिस अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को विधिवत सूचना पत्र जारी नहीं किया अनावेदकगण को कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को बिना सुनवाई के एक पक्षीय रूप से अपील स्वीकार कने मे एवं अनावेदकगण के हित में हुये नामांतरण आदेश को निरस्त करने में कानूनी भूल की है जो आदेश अवैध होकर निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत अवधि बाह्य अपील को अनावेदकगण की बिना सुनवाई के गलत रूप से स्वीकार किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण का अवलोकन नहीं किया है । वसीयतनामा रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है जब छोटी बाई प्रारंभ से ही अनावेदकगण के साथ रहती थी अपनी स्वेच्छा से उसने अनावेदकगण के हित में वसीयतनामा सम्पादित किया था जिनके आधार पर विधिवत नामांतरण अनावेदकगण के हित में हुआ था अनावेदकगण द्वारा विधिवत छोटीबाई का दाहसंस्कार, क्रियाकर्म एवं तेंरहवी खर्च किया था । जिस नामांतरण आदेश को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी स्पीकिंग आदेश के अवैध रूप से नामांतरण आदेश अनावेदकगण के हित में हुआ था उसे निरस्त करने में गंभीर भूल की है । आदेश अवैध होकर निरस्तनीय है । अंत में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, मुरैना एवं अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा पारित आदेश

न्यायासंगत एवं विधिनुकुल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किय गया है ।

5/ प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा अंतिम तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया अभिलेखों के अवलोकन में स्पष्ट है कि उभयपक्ष ने अपने–अपने दावे जो अलग–अलग वसीयतों प किए है– ने किसी भी न्यायालय में यह नहीं बताया कि भूमिस्वामी छोटीबाई की मृत्यु कब हुई न्यायालय ने भी यह जानने का प्रयास नहीं किया । इस न्यायालय में प्रथम बार दोनों पक्षों ने छोटी बाई के अलग–अलग मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किए जो अभी तैयार कराए गए हैं । आवेदक द्वारा पेश मृत्यु प्रमाण–पत्र में मृत्यु दिनांक 12/08/88 तथा अनावेदक द्वारा पेश प्रमाण–पत्र में मृत्यु दिनांक 30/12/91 बताई गई है । स्पष्ट है कि दोनों प्रमाण–पत्र असत्य जानकारी पर तैयार कराए गए है।

अभिलेख के अवलोकन में स्पष्ट है कि आवेदक की पंजीकृत वसीयत (जिसकी केवल छायाप्रति पेश की गई है) दिनांक 20/07/87 को तथा अनावेदक की वसीयत दिनांक 02/07/90 की है ।

आवेदक ने प्रथम बार अपना दावा अनुविभागीय अधिकारी के अपील में 5/10/10 को अर्थात उनके मृत्यु प्रमाण–पत्र के दिनांक 12/08/88 से 22 वर्ष बाद तथा अनावेदक ने अपना विचारण न्यायालय में दावा 24/07/08 को अर्थात उनके मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 30/12/91 के लगभग 17 वर्ष बाद पेश किया ।

यह भी स्पष्ट है कि किसी भी पक्ष ने वारिसान अधिकार पर दावा पेश नहीं किया और न ही अपने वारिस होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश की ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि छोटी बाई की मृत्यु वर्ष 1988 से 1991 के आस–पास हुई तथा तब से वर्ष 2008 तक भू0 अभिलेखों में उसका नाम चला आता रहा । इससे स्पष्ट है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में घोर लापरवाही बरती तथा अभिलेखों में मृत व्यक्ति का नाम आता रहा, जबकि तहसीलदार को चाहिए था कि कोई भी दावा न आने पर संहिता की धारा 176 के तहत कार्यवाही करते । यदि उन्होंने समय रहते यह कार्यवाही की होती तो अधिकंतम पांच वर्ष बाद भूमि परित्यक्त घोषित होकर शासन के नाम हो जानी चाहिए थी ।

प्रकरण के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लम्बे समय तक राजस्व अधिकारियों के द्वारा उक्त कार्यवाही न करने से ही उभयपक्ष ने दस्तावेज तैयार कराकर अपने–अपने दावे पेश किए । प्रकरण में हुए असाधारण विलम्ब के कारण दोनों पक्षों के दावे सन्देहास्पद होने से उनके पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिनुकूल नहीं है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों के दावे निरस्त करते हुए संहिता की धारा 176 के अन्तग
प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया जाता है ।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे । इस निर्देशों के साथ ही सभी अधीनर
न्यायालयों के आदेश विधिनुकूल नहीं होने से निरस्त किए जाते है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर